सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/08 निर्णय दिनांकः 5-3-18

1. भवानीसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी पूगल तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–05–2008
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 09–05–2008 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि निरस्त की गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन श्रेणी में दिनांक 24–09–1990 को पूगल गांव की रोही में खसरा नम्बर 148 की 50 बीघा बारानी भूमि का आवंटन आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा किया गया। उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटी के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा वादगत् भूमि पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया गया तथा प्रार्थी के पक्ष में पासबुक भी दिनांक 26—06—1991 को जारी कर दी गई।

उक्त आवंटन की भूमि का नियमितिकरण हेतु राज्यादेश क्रमांक प—3(51)/राज/उप/97 दिनांक 19—05—2006 व 30—10—2006 के तहत आवंटन के मुताबिक कब्जा काश्त के नियमन के आदेश पारित कर आवंटी को आवंटित 50 बीघा भूमि की कीमत का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा दिनांक 28—06—2006 को पुस्तक संख्या 418399 रसीद संख्या 00041 के द्वारा राशि रूपये 38, 324/— खजाना राज में जमा करवा दी गई थी। जिसकी पालना में अदालत मातहत को आवंटी के पक्ष में पुनः विशेष आवंटन का आदेश पारित करना था। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि खसरा नम्बरान् में हुई थी जो चकबन्दी आने के पश्चात् चक 5 डीएलएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 25 की 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 ता 25 की 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/12 के किला नम्बर 16 ता 25 की 10 बीघा भूमि में परिवर्तित हुई। अदालत मातहत को उसी के अनुरूप आवंटन आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी करना चाहिए था। किन्तु आवंटन आदेश पारित करते समय चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 5 की 5 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 व 12 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 7 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित आदेश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादगत् भूमि पुनः आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अदालत मातहत ने राज्यादेश के विरूद्व जाकर अपीलांट के धारण की 7 बीघा भूमि को निरस्त किया गया है। जिसकी अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा राज्यदेश की अनुपालना में आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्व आदेश होने से निरस्त योग्य आदेश है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ

द्वारा वादगत् भूमि पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करना प्रारम्भ कर दिया गया तथा प्रार्थी के पक्ष में पासबुक भी दिनांक 26–06–1991 को जारी कर दी गई।

उक्त आवंटन की भूमि का नियमितिकरण हेतु राज्यादेश कमांक प–3(51)/राज/उप/97 दिनांक 19–05–2006 व 30–10–2006 के तहत आवंटन के मुताबिक कब्जा काश्त के नियमन के आदेश पारित कर आवंटी को आवंटित 50 बीघा भूमि की कीमत का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा दिनांक 28–06–2006 को पुस्तक संख्या 418399 रसीद संख्या 00041 के द्वारा राशि रूपये 38, 324/– खजाना राज में जमा करवा दी गई थी। जिसकी पालना में अदालत मातहत को आवंटी के पक्ष में पुनः विशेष आवंटन का आदेश पारित करना था। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि खसरा नम्बरान् में हुई थी जो चकबन्दी आने के पश्चात् चक 5 डीएलएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 25 की 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 ता 25 की 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/12 के किला नम्बर 16 ता 25 की 10 बीघा भूमि में परिवर्तित हुई। अदालत मातहत को उसी के अनुरूप आवंटन आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी करना चाहिए था। किन्तु आवंटन आदेश पारित करते समय चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 5 की 5 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 व 12 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 7 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया। जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित आदेश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वादगत् भूमि पुनः आवंटित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अदालत मातहत ने राज्यादेश के विरूद्व जाकर अपीलांट के धारण की 7 बीघा भूमि को निरस्त किया गया है। जिसकी अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा राज्यदेश की अनुपालना में आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्व आदेश होने से निरस्त योग्य आदेश है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ

..स्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—05—2008 के विरूद्व अपील 24—06—2008 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार ही चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11, 12 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 7 बीघा भूमि को निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—05—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 24—06—2008 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(2) अपीलांट ने भूमिहीन श्रेणी के तहत दिनांक 24—09—1990 को तहसील पूगल के खसरा नम्बर 148 की 50 बीघा भूमि बारानी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया। आवंटन पश्चात् उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया व अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि पर काश्त भी प्रारम्भ कर दी गई तथा अपीलांट/प्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि की पास बुक भी जारी कर दी गई।

(3) तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा राज्यादेश कमांक प—3(51)/राज/उप/97 दिनांक 19—05—2006 व 30—10—2006 के तहत आवंटन के मुताबिक कब्जा काश्त के नियमन के आदेश पारित कर आवंटी को आवंटित 50 बीघा भूमि की कीमत का 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा दिनांक **28—06—2006 को पुस्तक संख्या 418399 रसीद संख्या 00041 के द्वारा राशि रूपये 38,324/—** खजाना राज में जमा करवा दी गई थी।

(4) चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को खसरा नम्बर 148 की 50 बीघा भूमि के रूप में हुई थी। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 ता 25 की 15 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/12 के किला नम्बर 16 ता 25 की 10 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई।

(5) अदालत मातहत द्वारा उक्त चकबन्दी के पश्चात् अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि की राशि जमा करवाये जाने के फलस्वरूप पुनः आवंटन आदेश जारी किया जाना चाहिए था। उक्त आदेश में अदालत मातहत द्वारा चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 5 की 5 बीघा व मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 व 12 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 7 बीघा भूमि का आवंटन विकल्प के अनुसार निरस्त किया जाना अभिलिखित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा उसे आवंटित पूर्ण भूमि की एवज में 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) प्रस्तुत मामलें में विवाद का मुख्य बिन्दु यह नहीं है कि अपीलांट/प्रार्थी को कमाण्ड अथवा अनकमाण्ड भूमि का पात्र धोषित किया गया है। जबकि अपीलांट के धारण की 50 बीघा भूमि के नियमन किये जाने हेतु राज्यादेश दिनांक 19–05–2006 व 30–10–2006 की पालना में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जानी थी।

(7) अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 30–12–2006 में यह अंकित किया गया है कि अपीलांट/प्रार्थी दिनांक 24–09–1990 को 43 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड हेतु पात्रता रखता है अतः कुल 43 बीघा भूमि का नियमन राज्यादेश दिनांक 19–05–2006 के अनुसार किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब अदालत मातहत द्वारा पूर्व में अपीलांट को 50 बीघा भूमि का पात्र धोषित करते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया था तो कालान्तर में उसे 43 बीघा भूमि का पात्र किस आधार पर धोषित किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा कोई टिप्पणी अपने आदेश में अंकित नहीं की गई। चूंकि अपीलांट द्वारा पूर्व में आवंटित 50 बीघा भूमि की एवज में 20 प्रतिशत राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलांट को आवंटित भूमि में से चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92/60 के किला नम्बर 1 ता 5 की 5 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 112/04 के किला नम्बर 11 व 12 की 2 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 7 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित, तर्कसंगत व पुष्टि योग्य आदेश नहीं माना जा सकता।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशित स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए नियमानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 5-3-18 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर